इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

(ग)

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक २९ सितम्बर २०२३—आश्विन ७, शक १९४५

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश
 - (1) प्रारूप नियम,
- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.

- (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
- (3) संसद् के अधिनियम.

भाग ४ (क)-कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 1/1/34/0001/2023/18-5 :—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 460-643-चौतीस, दिनांक 19 मई, 1972 को अतिष्ठित करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय का तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय (अराजपत्रित) सेवा की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :--

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन या ऐसा अधिकारी जिसे इस सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्ति है;
- (ख) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश;
- (ग) ''सिमिति'' से अभिप्रेत है, अनुसूची चार के कॉलम (5) में यथा उल्लिखित विभागीय चयन सिमिति;
- (घ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस)" से अभिप्रेत है, ऐसा नागरिक जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 07—11/2019/आ.प्र./एफ दिनांक 02.जुलाई,2019 के अनुसार किसी आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधीन नहीं आता हो।

(ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अंतर्गत भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षाः

(च) "भूतपूर्व सैनिक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई (यूनिट) की सिफारिश के परिणामस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष घोषित किया गया हो।

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय से पूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो देश की सशस्त्र सेवाओं में छह माह से अधिक समय तक निरंतर नियोजित था और वह किसी कदाचरण के कारण सेवामुक्त न किया गया हो;
- (3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और जिन्हें— (क) अल्पकालीन वचनबंध की अविध पूर्ण हो जाने पर, (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया हो।
- (4) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त किया गया हो।
- (5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से पृथक कर दिया हो, अथवा दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं होने के कारण सेवामुक्त किया गया हो;
- (छ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ज) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
- (झ) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इन नियमों या इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों तथा आदेशों के उपबंधों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो,
- (ञ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र—एफ—8—5—पच्चीस—4—84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ट) "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किसी भी संगठन इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरंतर रहा हो, तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तिथि से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;
- (ड) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

- (ढ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- (ण) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय) अराजपत्रित सेवा;
- (त) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।
- विस्तार एवं लागू होना :- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम,
 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन :- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-
 - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि :--

(1) सेवा के वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी;

परन्तु, सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थाई या अस्थाई रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगी।

(2) सेवा का कोई भी सदस्य सेवा की संरचना में किसी भी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या सरकार द्वारा संवर्ग में किसी रिक्त पद को भरा नहीं जाने या उसे प्रास्थिगित रखने की दशा में प्रतिकर का पात्र नहीं होगा।

___6. _ भर्ती का तरीका :− _____

- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :--
 - (क) सीधी भर्ती द्वारा या प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा,
 - (ख) नगर तथा ग्राम निवेश अराजपत्रित सेवा के तृतीय श्रेणी पदों पर नियुक्त सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

परन्तु, इस खण्ड के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-2 के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में, ऐसे पदों में, मूल रूप से धारण कर रहें हों, इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। खण्ड (क) एवं (ग) के संविलियन पर अनुसूची "दो" के आधार पर पद भरे जाएंगे।
- (2) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका, जो भर्ती की किसी विशिष्ट कालाविध के दौरान अपेक्षित की जाए तथा प्रत्येक अवसर पर भर्ती की जाने वाले व्यक्तियों की संख्या समिति के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(3) उप—िनयम (1) के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची—एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(4) उप—िनयम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए यदि उप—िनयम—1 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों से भिन्न किसी अन्य तरीके से भिन्न तरीका अपनाया जाना अपेक्षित हो, तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमित एवं सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भर्ती की अन्य रीतियों को अंगीकार किया जा सकेगा।

7. सेवा में नियुक्ति :--

इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम—6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधीं भर्ती के लिए पात्रता संबंधी शर्ते :--

सीधी भर्ती के लिए पात्र होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्ती को पूरा करना होगा, अर्थात् :--

(1) आयु:—
-यूनतम आयु, अधिकतम आयु एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट ऐसी होगी
जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा
जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार अवधारित किया जाए।

(क) अभ्यर्थी ने परीक्षा / चयन प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात की आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची— तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी नहीं की हो।

(ख) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष शिथिलनीय होगी।

(ग) शासकीय / निगम / मण्डल / स्वशासी संस्था तथा नगर सैनिक के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी तथा आरक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी और समस्त महिला अभ्यर्थी जिसमें, विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा भी सम्मिलित हैं. के सम्बन्ध में अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष होगीः

परन्तु सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुऐ किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं

होगी।

(घ) छटनी किये गये सरकारी सेवक के सम्बन्ध में उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्तें कि उससे परिधाम स्वरूप जो आयु निकले वह निर्धारित सामान्य उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

(इ) भूतपूर्व सैनिक के संबंध में उसे अपने आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते कि उससे परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह निर्धारित सामान्य उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(2) शैक्षणिक अर्हता:--

अभ्यर्थी के पास अनुसूची—तीन में दर्शायी गयी सेवा/पद के लिए विहित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं होनी चाहिएः

परन्तु, आपवादिक मामलों में, सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से ऐसे अभ्यर्थियों को अर्ह मान सकेगा जो यद्यपि इस खण्ड में से विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए पात्र अभ्यर्थियों के रूप में विचार हेतु न्यायसंगत ठहराती हों।

(3) फीस:— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/सरकार के द्वारा समय—समय पर यथा पुनरीक्षित फीस का संदाय करना होगा।

9. निरर्हता :--

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता माना जाएगा।

- (2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक संतान हों, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि दूसरी संतान जुड़वा न हो।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, सेवा के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु, जहां किसी व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हो तो उसकी नियुक्ति आपराधिक मामले का विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

- (5) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा के लिए अपात्र होगा।
- (6) अन्य कोई, कारण जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

10. पात्रता के संबंध में विनिश्चय :--

परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में सिमिति / नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और अपात्र पाया गया अभ्यर्थी परीक्षा / साक्षात्कार में भाग नहीं ले सकेगा।

11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :--

- (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से की जाएंगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय—समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करे। परीक्षा, सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी।
- (2) सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार 16 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति, 20 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति, 27 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। उक्त आरक्षित पदों में से भारत सरकार द्वारा 103 वें संविधान अधिनियम, 2019 में किये गए प्रावधानुसार 10 प्रतिशत पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) के लिए तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 3(1) में हुये संशोधन अधिसूचना दिनांक 17.11.2015 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 33 प्रतिशत पद समस्तर और प्रभागवार (हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) आरक्षित रखे जाएंगे।
- (3) इस प्रकार रिक्त स्थानों को भरते समय ऐसे अभ्यर्थियों, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की

नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति में अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी।

(5) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों / निःशक्तजनों के लिए आरक्षण के उपबंध होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज होंगे।

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2018 द्वारा 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जायेगें।

12. समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची :--

- (1) सिमिति, (जहाँ भर्ती चयन परीक्षा के माध्यम से की जाये) इसके द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से बनाई गयी सूची तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं, किन्तु जिन्हें सिमिति ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी। यह सूची सर्वधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित भी की जाएगी।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में आए उनके नामों के क्रम से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना, उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. परिवीक्षा :--

- (1) सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (1) के अनुसार दिनांक 12.12.2019 को हुए संशोधन के तहत तीन वर्ष की कालाविध के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
- (2) परिवीक्षा की कालावधि के दौरान सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति न्यूनतम वेतनमान का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में प्राप्त करेगा। अभ्यर्थी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर, वेतनमान में पूर्ण वेतन

दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि एवं स्टायपेंड के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :--

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नित के लिए अनुसूची—चार के कॉलम (5) में यथा उल्लिखित सदस्यों से मिलकर एक पदोन्नित समिति गठित की जाएगी।
- (2) सिमिति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, अनुसूची चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों के लिए, समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के उप-खण्डों के अधीन जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया है।
- (4) सिमिति ऐसे अंतरालों से बैठक करेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निर्देश दें, परन्तु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी—3—2/2013/3/एक, दिनांक 24.04.2013 के अनुसार सिमित सामान्यतः वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्यक करेगी।

15. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्ते :--

सरकार द्वारा समय—समय पर जारी की गई पदोन्नित नीति के उपबंधों के अनुसार समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर उतने वर्षों की सेवा, (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप में) पूर्ण कर ली थी, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है:

परन्तु इस नियम के अधीन किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल उनकी अर्हकारी सेवा की कालाविध पूर्ण करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति से पहले विचार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:— संबंधित वर्ष की, जिसमें विभागीय समिति आहुत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालाविध की गणना उस कैलेण्डर वर्ष के प्रारंभ से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में जाने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना :-

(1) सिमिति, ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो नियम—16 एवं 17 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें सिमिति सेवा में पदोन्नित हेतु उपयुक्त पाया हो। सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नित के कारण विद्यमान तथा संभावित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक रिक्षत सूची भी उपरोक्त कालाविध के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए चयन, विरष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगी।

(3) सूची में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों के नाम ऐसी चयन—सूची के तैयार करते समय अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिन्हें चयन सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, विरष्टता का कोई दावा नहीं करेंगे।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची को गुण—दोष के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा। यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

17. चयन सूची:--

(1) समिति / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में दर्शाए अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन—सूची होगी। चयन सूची जब तक कि नियम 18 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण नहीं किया जाता, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढाई जाएगी,

परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किए गए किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत तथा उचित हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।
- (3) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) अराजपत्रित सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में हों।

18. समिति से परामर्शः

समिति की अनुशंसा के संबंध में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अनुसार समिति के साथ परामर्श कर लिया गया है और समिति के साथ पृथक से कोई परामर्श अपेक्षित नहीं है।

19. निर्वचन :-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. शिथिलीकरण :--

इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसे रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती हैं, जो उसको उचित और न्यायसंगत प्रतीत होती हो, परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21. व्यावृत्ति :-

इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. निरसन :--

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किए जाते हैं परन्तु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाही समझी जाएगी।

अनुसूची— एक (नियम—5 देखिये)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा वर्गीकरण, वेतनमान एवं सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

विभाग	सेवा में सम्मिलित पद	पदों की	वर्गीकरण	वेतनमान/वेतन बेंड	अभ्युक्ति
का नाम	का नाम	संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नगरीय विकास एवं	 वास्तु मानचित्रकार (भोगौलिक सूचना प्रणाली) GIS 	43	तृतीय श्रेणी अलिपिकी वर्गीय	(32800-103600)	=
आवास विभाग	 सहायक वास्तु मानचित्रकार (भोगौलिक सूचना प्रणाली) GIS 	85	– तदैव –	(25300-80500)	=
	3. अनुरेखक	05	तदैव —	(19500-62000)	डाईंग केडर
19	4. उपयंत्री	111	- तदैव -	(32800-103600)	2
	5. वरिष्ठ भू-मापक	06	– तदैव –	(25300-80500)	डाईंग केडर
	6. कनिष्ठ भू–मापक	01	– तदैव –	(19500-62000)	डाईंग केंडर
	7. वरिष्ठ रिसर्च सहायक	02	– तदैव –	(36200-114800)	डाईंग केंडर
-	8. रिसर्च सहायक	09	– तदैव –	(32800-103600)	डाईंग केडर
	9. अन्वेषक	16	— तदैव —	(28700-91300)	डाईंग केंडर
20	10. स्टाफ ऑफिसर	02	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	(42700-135100)	पदनाम परिवर्तन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपन्न क. 3—1/1/वेआप्र/2008. दि. 18.10.2008 द्वारा राजपत्रित सेवा श्रेणी दो घोषित किया जाता है।
	11. निज सचिव	04	- तदैव -	(36200-114800)	पदनाम परिवर्तन
	12. निज सहायक	11	तदैव	(28700-91300)	पदनाम परिवर्तन
	13. स्टेनोटायपिस्ट	23	— तदैव —	(19500-62000)	2
	14. अधीक्षक	09	– तदैव –	(42700-135100	सामान्य प्रशासन विमाग के परिपन्न क. 3-1/1/ वेआप्र/2008, दि. 18.10.2008 द्वारा राजपन्नित सेवा श्रेणी दो घोषित किया जाता है।
-	15. सहायक अधीक्षक	11	— तदैव —	(36200-114800)	_
	16. सहायक ग्रेड-1	36	– तदैव –	(28700-91300)	_
	17. सहायक ग्रेड–2	54	– तदैव –	(25300-80500)	
	18. सहायक ग्रेड-3	80	– तदैव –	(19500-62000)	
	19. स्टोरकीपर	09	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय	(22100-70000)	-
	20. ग्रन्थपाल	01	– तदैव –	(28700-91300)	-
	21. वाहन चालक	20	तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय	(19500-62000)	7—
	22. मॉडलर	01	– तदैव –	(25300-80500)	डाईंग केंडर
	23. सहायक मॉडलर	01	— तदैव —	(19500-62000)	डाईंग केंडर
	24. नीलमुद्रक	05	– तदैव –	(19500-62000)	डाईंग कंडर
	योग	545			

अनुसूची— दो (नियम— 6 देखिये) मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश (तृतीय श्रेणी लिपिक दर्गीय तथा अलिपिक दर्गीय) सेवा भर्ती का तरीका

विभाग		पद का नाम	पदों की			ख्या की प्रतिशतता	अभियुक्ति
का नाम			कुल	सीधी भरती		अन्य सेवा के व्यक्तियों	
			संख्या	द्वारा (नियम 6	की पदोन्नति	के स्थानांतरण द्वारा	
				(क) द्वारा)	द्वारा(नियम 6	(नियम ६ (ग) द्वारा)	
					(ख) द्वारा)		
(1)	-	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नगरीय	1.	वास्तु मानचित्रकार	43	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	
विकास एवं		(भोगौलिक सूचना प्रणाली) GIS		(22 पद)	(21 पद)	£3	
आवास	2.	सहायक वास्तु	85	95 प्रतिशत	5 प्रतिशत	-	5%पदोन्नति के पद
विभाग	_	मानचित्रकार (भोगौलिक सूचना प्रणाली) GIS		(81 पद)	(4 पद)		संवर्ग में निचले पद पर कर्मचारी कार्यरत रहने तक
	3.	अनुरेखक	05			_	डाईंग केंडर
	4.	उपयंत्री	111	95 प्रतिशत	5 प्रतिशत	_	5:
	7.			(105 पद)	(6 पद)		पदोन्नति के पद संवर्ग में निचले पद पर कर्मचारी कार्यरत रहने तक
	5.	वरिष्ठ भू—मापक	06	-	१०० प्रतिशत	_	(डाईंग केडर) पदोन्नति के पद संवर्ग में निचले
PS	6.	कनिष्ठ भू-मापक	01	-	:45	==2	पद पर कर्मचारी कार्यरत
	7,	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	02	-	100 प्रतिशत	=	रहने तक
	8.	रिसर्च सहायक	09	-	100 प्रतिशत	=	
	9.	अन्वेषक	16	-	=	=:	डाईंग केंडर
	10.	स्टाफ ऑफिसर	02	:=:	100 प्रतिशत	·	_
	11.	निज सचिव	04	-	१०० प्रतिशत	-) =
	12.	निज सहायक	11	50 प्रतिशत (6 पद)	50 प्रतिशत (5 पद)	5	_
		स्टेनोटायपिस्ट	23	100 प्रतिशत			_
					400		
	14.		09		100 प्रतिशत	I TAIL	
	15.		11	-	100 प्रतिशत	_	
	16.		36	12	100 प्रतिशत	_	
	17.	सहायक ग्रेड–2	54	-	100 प्रतिशत	_	

	योग	545				
	24. नीलमुद्रक	05	-	-	- 8	डाईंग केंडर
	23. सहायक मॉडलर	01		-	-	डाईंग केंडर
10	22. मॉडलर	01	_	100 प्रतिशत	=:	डाईंग केंडर पद। पदोन्नति के पद संवर्ग में निचले पद पर कर्मचारी कार्यरत रहने तक
	21. वाहन चालक	20	100 प्रतिशत	-		
	20. ग्रन्थपाल	01	100 प्रतिशत	:=::	===	=
	19. स्टोरकीपर	09	100 प्रतिशत	1 - 1		2 - 0
			(60 पद)	(20 पद)		
	18. सहायक ग्रेड-3	80	७५ प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	_

अनुसूची—तीन (नियम 8 देखिये)

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा सीधी भरती के लिए अर्हता तथा आयु सीमा

विभाग	पद का नाम	न्यूनतम	अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हताए	विभागीय चयन	अभियुक्ति
का नाम		आयु	आयु सीमा		समिति के	
	,	सीमा			सदस्यों के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	1. वास्तु मानचित्रकार (भोगौलिक सूचना प्रणाली) GIS	18 वर्ष	40 वर्ष	 वास्तुकला / सिविल यांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री। भारत सरकार अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से जी.आई. एस. एप्लीकेशन एवं रिमोट सेन्सिंग अथवा जियोइन्फॉरमेटिक्स / जियोमेटिक्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा। 	(1) मुख्य नगर नियोजक या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ नगर नियोजक नगर तथा ग्राम निवेश	कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, शैक्षणिक अर्हता में बदलाव प्रस्तावित।
*	2. उपयंत्री	18 वर्ष	40 वर्ष	सिविल यांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री सारत सरकार अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से जी.आई. एस. एप्लीकेशन एवं रिमोट सेन्सिंग अथवा जियोइन्फॉरमेटिक्स / जियोमेटिक्स में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा।	-अध्यक्ष (2) वरिष्ठ नगर नियोजक नगर तथा ग्राम निवेश -सदस्य (3) वरिष्ठ नगर नियोजक / उप संचालक (स्था.)	<u> </u>
ř.	3. सहायक वास्तु मानचित्रकार (भोगौलिक सूचना प्रणाली) GIS	18 वर्ष	40 वर्ष	 वास्तुकला / सिविल यांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा अथवा डिग्री। भारत सरकार अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से जी.आई. एस. एप्लीकेशन एवं रिमोट सेन्सिंग अथवा जियोइन्फॉरमेटिक्स / जियोमेटिक्स में न्यूनतम आठ सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स उत्तीर्ण। 	नगर तथा गाम निवेश —सदस्य (4) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि टिप्पणी— यदि इन अधिकारियों	—तदैव—
**	4. ग्रंथपाल	18 वर्ष	40 বর্ষ	 किसी भी संकाय में स्नातक। लायब्रेरी सांईंस में डिप्लोमा या उपाधि। शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डी.सी.ए. / पी.जी.डी.सी.ए.। 	से कोई अगले किनष्ठ अधिकारी को प्राधिकृत करता है तो वह समिति के	-तदैव-
~	5. निज सहायक	18 वर्ष	40 বর্ষ	हायर सेकेन्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं / परिषद से 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से शार्टहेण्ड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा	सम्मिलन में भाग ले राकेगा।	म.प्र.शा. सा.प्र.वि. के परिपत्र कमाक-सी 3-8/2013/1/ 3 भोपाल दिनांक- 01 जुलाई 2013 ज्ञाप कमांक-सी 3-15/2014/1

विभाग	पद का नाम	न्यूनतम	अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हताए	विभागीय चयन	अभियुक्ति
का नाम		आयु	आयु सीमा		समिति के	
0000		सीमा			सदस्यों के नाम	()
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(.)				प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) (CPCT		दि-26 फरवरी
1				Scorecard)के साथ शासन द्वारा		2015 एवं कमांक सी 3–07/
				मान्यता प्राप्त निम्न संस्थाओं में से		था 3-07/ 2015/1/3 दि.
				किसी एक संस्था से एक वर्षीय		18 अगस्त 2015
1				कम्प्यूटर डिप्लोमा सर्टीफिकेट परीक्षा		
				उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है।		1
1				1. यु.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी	V	
				भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।		
				2. यूजी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी		
				भी मुक्त विश्वविद्यालय से		
-				डिप्लोमा। 3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर		
1				3. डा.आ.इ.ए.सा.सा. स ।डप्लामा स्रार की परीक्षा।		
				4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से		
1				मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।		
- 1				शा. आई.टी.आई. द्वा०रा एक वर्षीय		
9				''कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग		1
				असिस्टेंट'' (COPA)प्रमाण पत्र।		
				2/ उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से		
		1		कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:		
				बी.ई.(सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए.		
7.5				/बी.सी.ए./ एम.एस.सी (आई.टी.		
				/ सी.एस)		
				बी.एस.सी.(आई.टी./सी.एस) एम.टेक.		
		1		/एम.ई. इत्यादि।		
				ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर		
				साईस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं	,	
				इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि।		1
				बी.एस.सी. /बी.कॉम / डिग्रीयां, जिसमें		
			1	केवल कम्प्यूटर के एक विषय का	l'	
			V	अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं		
				होगा।	_	म.प्र.शा. सा.प्र.वि
	6. स्टेनोटायपिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेन्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण		के परिपत्र
				एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से		कमांक—सी
				80 शब्द प्रति गिनिट की गति से	1	3-8/2013/1
				शॉर्टहैण्ड उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र		/ 3 भोपाल
				एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वार		दिनांक— 0'
				आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण		जुलाई 2013
				परीक्षा प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) (CPC	Γ	ज्ञाप कमांक-स
				Scorecard)के साथ शासन द्वारा		3-15/2014/ /3
				मान्यता प्राप्त निम्न संस्थाओं में से		1/3

विभाग	पद का नाम	न्यूनतम	अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हताए	विभागीय चयन	अभियुक्ति
का नाम		आयु	आयु सीमा		समिति के	
		सीमा			सदस्यों के नाम	(-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				किसी एक संस्था से एक वर्षीय		दि-26 फरवरी
				कम्प्यूटर डिप्लोमा सर्टीफिकेट परीक्षा		2015 एवं कमांव सी 3–07/
				उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है।		2015/1/3 दि
				1. यूजी सी. द्वारा मान्यता प्राप्त		18 अगस्त 2015
				किसी भी विश्वविद्यालय से		
				डिप्लोमा। 2. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त		
				किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से		
1				डिप्लोमा।		
				3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर		
				की परीक्षा।	1	
1				4. शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से		
- 1				मार्डन आफिस मैनेजमेंट कोर्स। 5. शा.आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय		1
) अध्याद्धाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।		
		i .		असिरटेंट' (COPA) प्रमाण पत्र।		
1				2/ उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से		
- 1				कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न		
1				अर्हता भी मान्य होगी:-		
				1. बी.ई. (सी.एस.ई. / आई.टी.) / एम. सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एस.सी.		
- 3				(आई.टी. / सी.एस.) बी.एस.सी.		
				(आई.टी./सी. एस.) एम.टेक./		
		Y		एम.ई. इत्यादि ।		
				2. ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित		
				पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन		
	F:			कम्प्यूटर साईस/कम्प्यूटर		
				एप्लीकेशन एवं इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि।		1
				3. बी.एस.सी. / बी. कॉम / डिग्रीयां,		
		1		जिसमें कैवल कम्प्यूटर के एक		
2 1		1		विषय का अध्यापन सम्मिलित है		
				मान्य नहीं होगा।		म,प्र.शा. सा.प्र.
	7. सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेन्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण		के परिपत्र
	ग्रेड–3			एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा		क्रमांक-सी
				आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण		3-8/2013/
-				परीक्षा प्रमाण पत्र (स्कोरकार्ड) (CPCT		/ ३ भोपाल
				Scorecard) के साथ शासन द्वारा		दिनांक— 0
	13			मान्यता प्राप्त निम्न संस्थाओं में से		जुलाई 2013
			1	किसी एक संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा		ज्ञाप कमांक-र 3-15/
				सार्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना		2014/1/3
				अनिवार्य किया गया है।		दि—26 फरवरी
		1	1			2015

विमाग	पद का नाम	न्यूनतम	अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हताए	विभागीय चयन	अमियुक्ति
का नाम		आयु	आयु सीमा		समिति के	
		सीमा			सदस्यों के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				 यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मार्डन आफिस मैनेजमेंट कोर्स। शा.आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्नामिंग असिस्टेंट" (COPA)प्रमाण पत्र। वक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:— बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी) /एम. सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) बी.एस.सी. (आई.टी./सी. एस.)एम.टेक./एम. ई. इत्यादि। ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पोलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि। बी.एस.सी./बी. कॉम / डिग्रीयां, जिसमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा। 		एवं क्रमांक सी 3-07/2015/ /3 दि. 18 अगस्त 2015
	8. स्टोर कीपर	18 वर्ष	40 वर्ष	 हायर सैकेन्डरी (10+2) उत्तीर्ण। स्टोरकीपर के कार्य का दो वर्ष का 		
				अनुभव अनिवार्य है।		
	9. वाहन चालक	18 বর্ष	40 वर्ष	 हायर सैकेन्डरी (10+2) उत्तीर्ण। हल्के मोटर यान चलाने की विधि—मान्य अनुज्ञप्ति (ड्राईविंग लाईसेन्स)। 		

नोट:- आयु सीमा में शिथिलिकरण सामान्य प्रशासन विमाग के परिपत्र कमांक एफ 3-8/2016/1/3 दिनांक 04.07.2019 के अनुसार होगा।

अनुसूची—चार (नियम 14 देखिये) पदोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता

अनुक्रमांक	उस पद का नाम	उस पद का नाम	विभागीय पदोन्नति के	विभागीय पदोन्नति	अभियुक्ति
. 3	जिससे पदोन्नति	जिस पर पदोन्नति	लिये अपेक्षित अनुमव	समिति के सदस्यों के	
	की जाना है।	की जानी हो	एवं योग्यता	नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
 रिसर्च 		वरिष्ठ रिसर्च	रिसर्च सहायक के पद पर	(1) मुख्य नगर नियोजक	
		सहायक	5 वर्ष का अनुभव	या उसकी अनुपस्थिति में	
2. अन्वेषव	5	रिसर्च सहायक	अन्वेषक के पद पर 5 वर्ष	वरिष्ठ नगर नियोजक	
		-:	का अनुभव	नगर तथा ग्राम निवेश	
3. वरिष्ठ	भुमापक	उपयंत्री	वरिष्ठ भूमापक के पद पर	—अध्यक्ष	
	C.		४ वर्ष का अनुभव	(2) वरिष्ठ नगर	
4. कनिष्ठ	भमापक	वरिष्ठ भूमापक	कनिष्ठ भूमापक के पद पर	नियोजक नगर तथा ग्राम	
4. 4.110			४ वर्ष का अनुभव	निवेश —सदस्य	
5 . सहाय	क वास्तु मानचित्रकार	वास्तु मानचित्रकार	सहायक मानचित्रकार	(3) वरिष्ठ नगर	
	लेक सूचना प्रणाली)	(भोगौलिक सूचना	(भोगौलिक सूचना प्रणाली)	नियोजक / उप संचालक	
GIS	cids (Za ii si iiai)	प्रणाली) GIS	GIS के पद पर 4 वर्ष का	(स्था.) नगर तथा गाम	
GIS		,	अनुभव।	निवेश —सदस्य	
	125	सहायक वास्तु	अनुरेखक के पद पर 4 वर्ष	(4) अनुसूचित जाति /	
6. अनुरेख	3 47	मानचित्रकार	का अनुभव।	अनुसूचित जनजाति का	
		(भोगौलिक सूचना		प्रतिनिधि	
		प्रणाली) GIS			
		अधीक्षक	सहायक अधीक्षक के पद	टिप्पणी— यदि इन	
7. सहाय	क अधीक्षक	जनापाप	पर 5 वर्ष की सेवा का	अधिकारियों से कोई	
			अनुभव।	अगले कनिष्ठ अधिकारी	
		and and	सहायक ग्रेड–1 के पद	को प्राधिकृत करता है तो	
८. सहाय	क ग्रेड-1	सहायक अधीक्षक	पर 5 वर्ष का अनुभव	वह समिति के सम्मिलन	
			सहायक ग्रेड-2 के पद	में भाग ले सकेगा ।	
9. सहाय	क ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1	1		
			पर 5 वर्ष का अनुभव		
10. सहाय	क ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-2			
~			पर 5 वर्ष का अनुभव।		

अनुक्रमंक	उस पद का नाम	उस पद का नाम	विभागीय पदोन्नति के	विभागीय पदोन्नति	अभियुक्ति
F)	जिससे पदोन्नति	जिस पर पदोन्नति	लिये अपेक्षित अनुभव	समिति के सदस्यों के	
1	की जाना है।	की जानी हो	एवं योग्यता	नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. निज स	हायक	निज सचिव	निज सहायक के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।		
12. स्टेनोटा	यपिस्ट	निज सहायक	 मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन 100 शब्द प्रति मि. से उत्तीर्ण / मुद्रलेखन परीक्षा उर्त्तीर्ण। स्टेनोटायिपस्ट के पद पर 5 वर्ष का अनुभव। 		
13. चतुर्थ ह	मेणी पद	सहायक ग्रेड-3	किसी चतुर्थ श्रेणी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव। सहायक ग्रेड—3 के पद हेतु शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक	41	म.प्र.शा. सा.प्र.वि. के परिपत्र कमांक—सी / 3—11 / 08 / 3 / एक दिनांक— 12 / 6 / 2009 एव कमाक—
			अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य। 3. मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षाएवं हिन्दी मुद्रलेखन की		सी-3-18 /1/3/2010 दिनांक- 31.8. 2010
œ			परीक्षा (CPCT Scorecard)उत्तीर्ण करना होगा।		

No.F 1/1/34/0001/2023/18-5 :: In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of this department's notification No. 460-643-XXXIV dated 19th May, 1972, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules to regulate the recruitment and conditions of Class-III Ministerial and Non-Ministerial (Non-Gazetted) Service of the Directorate of Town and Country Planning, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Town and Country Planning Class-III Ministerial and Non-Ministerial (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Appointing Authority" means Government or the authority empowered to make recruitment to this service or posts;
- (b) "Commissioner" means the Commissioner, Town and Country Planning, Madhya Pradesh;
- (c) "Committee" means the Departmental Selection Committee as mentioned in column (5) of Schedule-IV;
- (d) "Economically Weaker Section (EWS)" means a citizen who does not come under any reserve category such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per the Circular of the General Administration Department No. F-07-11/2019/आ-प्र-/one dated 2nd July, 2019;
- (e) "Examination" means a competitive examination organized for recruitment under rule 11;
- "Ex-Serviceman" means a person who belongs to any of (f) the following categories and was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of employment for otherwise made application Government Service.
 - ex-serviceman released under mustering out concession;

- (2) ex-serviceman who was employed for more than six months continuously in army of country and not released due to any misconduct;
- (3) ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on.-
 - (a) completion of short term engagement;
 - (b) fulfilling the conditions of enrolment;
- (4) officer discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (5) ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc. or they are unlikely to become efficient soldiers;
- (g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (i) "Member of Service" means a person, who has been substantively appointed to a post in the cadre of the Service under the provisions of these rules or the rules and orders in force before the commencement of these rules;
- (j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

- (k) "Retrenched Government Servant" means a person who was in a temporary Government Service of this State or of any of constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or an application made otherwise for employment in Government Service;
- (l) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (m) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (n) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;
- (o) "Service" means Madhya Pradesh Town and Country Planning (Class-III Ministerial and Non-Ministerial) Non-Gazetted Service;
- (p) "State" means the State of Madhya Pradesh.

Extent and Application.-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

- 4. Constitution of the Service.- The service shall consist of the following persons, namely:-
 - (1) persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the post specified in Schedule-I;
 - (2) persons recruited to the service before commencement of these rules; and
 - (3) persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Pay Scale etc.-

(1) The classification of the service, pay scale and number of posts included in the service shall be as specified in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

(2) No member of service shall be entitled to compensation in consequence of any change in the structure of the service or in the event of Government leaving unfilled or holding in abeyance a vacant post in the cadre.

6. Method of Recruitment.-

(1) Recruitment in the service, after the commencement of these rules shall be, made by the following methods, namely:-

- (a) by direct recruitment or by selection through the competitive examination;
- (b) by promotion of the members appointed in the service of Class-III posts of the Town and Country Planning Non-Gazetted Service:

Provided that the number of persons recruited under this clause shall not be more than the percentage specified in column (5) of Schedule-II;

- (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity, such posts, in such service, as may be specified by the State Government in this behalf, from time to time. On merger of clause (a) and (c), the posts shall be filled up on the basis of Schedule-II.
- (2) Subject to the provisions of these rules, the method for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service which may be required during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, on each occasion shall be determined by the Government/appointing authority in consultation with the Committee.
- (3) The number of persons recruited under clause (a) or (b) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II in respect of the number of duty posts specified in Schedule-I.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the appointing authority, the exigencies of the service require recruitment by methods other than those contained in sub-rule (1), the Government may, with the prior agreement of the General Administration Department and the appointing authority with consultation, may adopt other methods of recruitment.

7. Appointment to the service.-

All appointments in the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-

In order to be eligible for direct recruitment, a candidate must fulfill the following conditions, namely:-

(1) Age.-

The minimum age, upper age and relaxation in upper age limit shall be, as determined by the State Government as per the circular issued by the General Administration Department, from time to time.

(a) the candidate must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III on the first day of January next following the date of commencement of the examination / selection

- and has not completed the age specified in column (4) of Schedule-III;
- (b) the upper age limit shall be relaxable by a maximum of 5 years in respect of Vikram Award holder candidates;
- (c) in respect of the male and female candidates working under the Government / Corporation/
 Board / Self-governing institution and city soldier and male and female candidates of reserved category and all female candidates including widow / abandoned / divorced, the maximum age limit shall be 45 years:

Provided that including all types of relaxation, the maximum age limit for any category shall not exceed 45 years in any case;

(d) in respect of a Retrenched Government Servant, the period of all temporary service rendered by him in the past shall not exceed 7 years, even if that period is less than the aggregate of the services rendered more than once:

Provided that the resultant age does not exceed the prescribed general upper age limit by 3 years;

(e) in respect of ex-serviceman, he shall be allowed to deduct from his age, the period of all defence service previously rendered by him:

Provided that the age obtained in the form of pension does not exceed the prescribed normal upper age limit by 3 years.

(2) Educational Qualifications.-

Candidates must possess educational and other qualifications as prescribed for the service /post in Schedule-III:

Provided that in exceptional cases the Government/Appointing Authority, may treat any candidate as qualified who though not possesses any qualification as prescribed in this clause, but has passed such examinations conducted by any other institute by such a standard which in the opinion of appointing authority justifies consideration of the candidate, shall be eligible for the examination / selection.

(3) **Fees**.-

The candidates shall have to pay the fee prescribed by the Appointing Authority/Government, as revised from time to time.

9. Disqualifications.-

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority / Committee to

- disqualify him from appearing in the examination/selection.
- (2) Any candidate, who got married before the minimum age prescribed for marriage, shall be disqualified for appointment in the service or post.
- (3) Any candidate who has more than two living children, one of them was born after 26th day of January, 2001, shall be disqualified for appointment to the service or post, provided that the second child is not twin.
- (4) Any candidate who has been convicted for any offence against woman shall be disqualified for appointment in the service whereas, if criminal proceedings are pending in a court, his appointment shall kept on hold until disposal of the criminal proceedings.
- (5) Any male candidate, having more than one living wife and any female candidate who married to a person who already has a living wife shall be disqualified for service.
- (6) Any other reason, as prescribed by the State Government.

10. Decision regarding eligibility.-

The decision of the Appointing Authority/ Committee regarding the eligibility of a candidate for examination/interview shall be final and no candidate who has been disqualified shall be permitted for the examination/interview.

11. Direct recruitment by competitive examination.-

- (1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Appointing Authority, from time to time, may determine in consultation with the Government. Examination shall be conducted in accordance with the orders as issued by the State Government.
- (2)For the direct recruitment, the posts shall be reserved, 16% posts for Scheduled Castes, 20 % posts for Scheduled Tribes and 27% posts for Other Backward Classes candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994). In the said reserved posts, 10% posts shall be reserved for Economically Weaker Sections (E.W.S.) as per the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act, 2019 of the Central Government and 33% posts shall be reserved horizontally and compartmentwise for the female candidates as per the provisions of the amended sub-rule (1) of rule 3 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for the Appointment of Women) Rules, 1977 as amended on 17th November, 2015.

- (3) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative position in comparison to other candidates.
- (4) If sufficient numbers of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled by other candidates in any way.
- (5) The reservation for disabled persons as declared by the Government shall be horizontal and compartment-wise.
- (6) As per the circular dated 5th June, 2018 of the General Administration Department, 20% posts shall be reserved for the employees appointed on contract basis.

12. List of candidates recommended by the Committee.-

(1) The Committee shall forward to the Government a list arranged in order of merit of candidates who have qualified by such standards as fixed by it and of the candidates who belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard are declared by the Committee to be suitable for the

- appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appeared in the list.
- (3) Inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such an enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. Probation.-

- (1) Every person appointed in the service by the direct recruitment shall be appointed on probation for a period of 3 years as per sub-rule (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, as amended on 12 December, 2019.
- (2) During the probation period, a candidate shall receive a minimum of 70 percent, 80 percent and 90 percent of the pay scale of the post on which he is appointed, in the first year, second year and third year respectively. The candidate shall receive full

salary only after completing the probation period successfully. The directions issued by the Government, from time to time shall be applicable for the period of probation and stipend.

14. Appointment by promotion.-

- (1) A Departmental Promotion Committee shall be constituted, consisting the members mentioned in column (5) of Schedule-IV for promotion of eligible members of the service.
- (2) The Committee shall consider the case of all persons for the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV, from the post mentioned in column (3) of the respective row, as per the instruction issued by the General Administration Department from time to time.
- (3) Appointing Authority shall endorse a certificate to the effect that promotion order complies with the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions under the provisions of the rules issued by the General Administration Department, in this behalf from time to time.
- (4) The Committee shall meet at such intervals as directed by the appointing authority, but the Committee ordinarily shall meet at least twice in a

year, as per the Circular of the General Administration Department No. C-3-2/2013/3/One, Bhopal, dated 24th April, 2013.

15. Conditions of eligibility for promotion.-

The Committee shall consider the case of all persons in accordance with the provisions of promotion policy issued by the Government, from time to time, who on the 1st day of January of that year have completed the number of years (whether officiating or substantive) of service as mentioned in column (4) of Schedule-IV:

Provided that no person junior shall be considered for promotion only on the basis of completing the qualifying length of service prior to that of his seniors.

Explanation.-The computation of qualifying service shall be calculated in the relevant year, in which the meeting of the Committee is convened, the period of qualifying service on 1st January shall be calculated from the beginning of the calendar year in which the public servant came into the feeder cadre / part of the service/pay scale of post and shall not be calculated from the date of commencement in the cadre / part of service / pay scale of post.

16. Preparation of the list of the suitable candidates.-

(1) The Committee shall prepare a list of such persons who fulfills the conditions prescribed in rule 14 and

15 above and are held suitable by the Committee for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the existing and anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of select list. A reserved list equivalent to 25% of anticipated vacancies shall be prepared to fulfill the unforeseen vacancies occurring, during the course of aforesaid period.

- (2) Selection for including names in such a list shall be based on merit with proper consideration of seniority and suitability in all respects.
- (3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list.

Explanation.- A person whose name is included in the select list but is not promoted during the validity of the list shall have no claim to the seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year on the basis of merit. If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of the service. The Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. Select List.-

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority/Committee shall form the select list for promotion of the members of service from the post mentioned in column (2) of Schedule– IV. The select list shall be valid for a period of one year unless its review or revision takes place under sub-rule (4) of rule 16. In any case the validity shall not be extended beyond a period of 18 months in total from the date of approval:

Provided that in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list a special review in the select list may be made at the instance of the appointing authority and the Committee may, if it thinks fit, may remove the name of such member form the select list.

- (2) If the appointing authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, it shall intimate the proposed change to the Committee and after taking into account the comments, if any, may approve the list finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.
- (3) Appointment of the person included in the select list to the Madhya Pradesh Town and Country Planning (Class-III Ministerial and Non-Ministerial) Non-

Gazetted Service Cadre shall follow the order in which the names of such member appear in the select list.

18. Consultation with Committee.-

In relation to the recommendation of the Committee, it shall be deemed to have consulted the Committee as per sub-clause (b) of clause (3) of article 320 of the Constitution, and no separate consultation is required with the Committee.

19. Interpretation.-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.-

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such a manner, as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Saving.-

Nothing in these rules shall adversely affect reservations and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by State Government, from time to time.

22. Repeal.-

All rules corresponding to these rules and in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed and in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Schedule - I (see rule 5)

Classification, Scale of Pay and Number of Posts included in the Service

S.	Name of posts	Number	Classification	Scale of Pay/	Remarks
No.	included	of		Pay Band	
	in the Service	Posts			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	rchitectural raftsman	43	Class-III Non- Ministerial	32800-103600	-
In	Geographic Information System) IS				
2. A	ssistant	85	-do-	25300-80500	*
	rchitectural raftsman				
10	Geographic			* 2.	
	nformation System)			45	
	IS				
3. Tı	racer	05	-do-	19500-62000	Dying cadre
4. St	ub-Engineer	111	-do-	32800-103600	Dying cadre
5. Se	enior Surveyor	06	-do-	25300-80500	Dying cadre
6. Ju	unior Surveyor	01	-do-	19500-62000	Dying cadre
8	enior Research	02	-do-	36200-114800	Dying cadre
8. Re	esearch Assistant	09	-do-	32800-103600	Dying cadre
9. In	vestigator	16	-do-	28700-91300	Dying cadre
10. St	aff Officer	02	Class-III Ministerial	42700-135100	Change of
					designation and
					General
e e			2		Administration
2					3-1/1You/2008
					dated declared
					Gazette Service
					Category Class-
			1	15	Il vide circular
1					dated
					18.10.2008
					18.10.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Personal Secretary	04	-do-	36200-114800	Change of
					designation
12.	Personal Assistant	11	-do-	28700-91300	Change of
	1		=		designation
13.	Steno-typist	23	-do-	19500-62000	-
14.	Superintendent	09	-do-	42700-135100	General
	1				Administration
	1				3-1/1You/2008
	1				dated declared
	1				Gazette Service
	1				Category Class-
					vide circular
÷					dated
					18.10.2008
15.	Assistant	11	-do-	36200-114800	
	Superintendent				1
16.	Assistant Grade-I	36	-do-	28700-91300	
17.	Assistant Grade-II	54	-do-	25300-80500	
18.	Assistant Grade-III	80	-do-	19500-62000	9 .5 7
19.	Store Keeper	09	-do-	22100-70000	:==:
20.	Librarian	01	-do-	28700-91300	85
21.	Driver	20	Class-III Non-	19500-62000	: <u>=</u>
			Ministerial		
22.	Modeler	01	-do-	25300-80500	Dying cadre
23.	Assistant Modeler	01	-do-	19500-62000	Dying cadre
24.	Ferro printer	05	-do-	19500-62000	Dying cadre
	Total	545		**	

Schedule – II (see rule 6) Method of Recruitment

S. No.	Name of Post	Total Number				Remarks
		of Posts	By direct recruitment [rule 6 (a)]	By promotion of members of the service [rule 6 (b)]	By transfer of persons from other services [rule 6(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 :	Architectural Draftsman (Geographic Information System) GIS	43	50% (22 posts)	50% (21 posts)		i n
2.	Assistant Architectural Draftsman (Geographic Information System) GIS	85	95% (81 posts)	5% (4 posts)	.=	5% posts of promotion shall be available till the employee continues to work on the lower post in the cadre
3.	Tracer	05	-	-	-	Dying cadre
4.	Sub-Engineer	111	95% (105 posts)	5% (6 posts)	-	5% posts of promotion shall be available till the employee continues to work on the lower post in the cadre
5.	Senior Surveyor	06	-	100%	8.	Dying cadre post of promotion shall be available till the employee continues to work on the lower post in the cadre
6.	Junior Surveyor	01		ij.	-	do
7.	Senior Research Assistant	02		100%	=	do
8.	Research Assistant	09	5 # .	100%	=	do
9.	Investigator	16	-	-	-	Dying cadre
10.	Staff Officer	02	2 4 :	100%	-	-
11.	Personal Secretary	04	- ·	100%	*	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Personal Assistant	11	50% (6 post)	50% (5 post)	: 2 //	
13.	Steno-typist	23	100%	-		*
14.	Superintendent	09	-	100%	-	N#
15.	Assistant Superintendent	11		100%	윤	
16.	Assistant Grade-I	36		100%	*	1/2
17.	Assistant Grade-II	54	-	100%	3 22)€:
18.	Assistant Grade-III	80	75% (60 posts)	25% (20 posts)	9	2.0
19.	Store Keeper	09	100%	(2)	#1"	:•
20.	Librarian	01	100%	-	14	-
21.	Driver	20	100%	-	-	-
22.	Modeler	01	-	100%	₹y	Dying cadre post of promotion shall be available till the employee continues to work on the lower post in the cadre
23.	Assistant Modeler	01	*	-	=	Dying cadre
24.	Ferro Printer	05	Ε	-	•	Dying cadre
	Total	545	2	-	-	3. + :

Schedule - III (see rule 8)

Essential Qualification and Age Limit of Direct Recruitment

S. No.	Name of Post	Minimum Age Limit	Upper Age Limit	Required Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Architectural Draftsman (Geographic Information System) GIS 18 years 40 years 1. Three years Diploma or Degree in Architecture / Civil Engineering. 2. Minimum one year Diploma in Geographic Information System Application and Remote Sensing or Geoinformatics / Geomatics from an Institute recognized by Government of India or State Government.		As per the need of work, changes in educational qualifications may be proposed		
2.	Sub-Engineer	18 years	40 years	Three years Diploma or Degree in Civil Engineering. Minimum one year Diploma in Geographic Information System Application and Remote Sensing or Geoinformatics / Geomatics from an Institute recognized by Government of India or State Government.	-do-
3.	3. Assistant Architectural Draftsman (Geographic Information System) GIS		40 years	1. Three years Diploma or Degree in Architecture / Civil Engineering. 2. Minimum 8 weeks certificate course in Geographic Information System Application and Remote Sensing or Geoinformatics / Geomatics from an Institute recognized by Government of India or State Government.	-do-

= (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Librarian	18 years	40 years	Graduate in any discipline. Diploma or Degree in Library Science. DCA/PGDCA from an Institute recognized by the State Government.	-do-
5.	Personal Assistant	18 years	40 years	Higher Secondary (10+2) Examination passed and a certificate from a recognized Institution / Council showing ability of having passed Shorthand test at the speed of 100 Words Per Minute and scorecard of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by Science and Technology Department along with Diploma Certificate Examination passed which is being conducted by any of the following recognized Institutions, namely:- (a) Diploma from a University recognized by UGC. (b) Diploma from any Open University recognized by	Government Madhya Pradesh, Genera Administration Department's Circular NoC 3 8/2013/ 1/ Bhopal dated-1 July, 2013 Mem No C 3 15/2014/ 1/3 Dated 26 February, 201 and No. C 3 07/2015/1/3 dated 18 August, 2015
				UGC. (c) Diploma level examination from DOEACC. (d) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.	
				(e) One year "Computer Operator and Programming Assistant (COPA)" Certificate from Government ITI. 2. In addition to Computer Diploma from above	
				mentioned recognized Institutions following qualifications shall also be recognized, namely:- (a) B.E.(CSE/IT) /MCA / BCA /M.Sc. (IT/CS)/ B.Sc. (IT/CS) / M.Tech./ M.E., etc. (b) Polytechnic Diploma in Computer Science/	
¥				Computer Application and Information Technology etc. approved by AICTE. B.Sc./B.Com Degree in which teaching only one subject of Computer shall not be accepted.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Steno-typist	18 years	40 years	Higher Secondary (10+2) Examination passed and a Certificate from a recognized Institution / Council showing ability of having passed Shorthand test at the speed of 80 Words Per Minute and score card of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by Science and Technology Department along with Diploma Certificate Examination passed which is conducted by any of the following recognized Institutions, namely: (a) Diploma from a University recognized by UGC. (b) Diploma from any Open University recognized by UGC. (c) Diploma level examination from DOEACC. (d) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College. (e) One year "Computer Operator and Programming Assistant (COPA)" Certificate from Government ITI. 2. In addition to Computer Diploma from above mentioned recognized Institutions following qualifications shall also be recognized, namely:- (a) B.E.(CSE/IT) /MCA / BCA /M.Sc.(IT/CS)/ B.Sc. (IT/CS) / B.Sc. (IT/CS) / B.Sc. (IT/CS) / B.Sc. (IT/CS) / M.Tech./ M.E., etc. (b) Polytechnic Diploma in Computer Science/Computer Application and Information Technology etc. approved by AICTE. (c) B.Sc./B.Com Degree in which teaching only one subject of Computer shall not be accepted.	Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Circular NoC 3-8/2013/1/3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	AssistantGrade-III		40 years	Examination passed and score card of Computer Proficiency Certification Test (CPCT) conducted by Science and Technology Department along with diploma certificate examination passed which is conducted by any of the following recognized Institutions, namely: (a) Diploma from a University recognized by UGC. (b) Diploma from any Open University recognized by UGC. (c) Diploma level examination from DOEACC. (d) Modern Office Management Course from Government Polytechnic College. (e) One year "Computer Operator and Programming Assistant (COPA)" Certificate from Government ITI. 2. In addition to Computer Diploma from above mentioned recognized institutions following qualifications shall also be recognized, namely: (a) B.E. (CSE/IT) / MCA / BCA / M.Sc. (IT/CS) / M.Tech. / M.E., etc. (b) Polytechnic Diploma in Computer Application and Information Technology etc. approved by AICTE. (c) B.Sc./B.Com Degree in which teaching only one subject of Computer shall not be accepted.	Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Circular NoC 3-8/2013/ 1/3 Bhopal, dated 1st July, 2013 Memo No C 3-15/2014/ 1/3 Dated 26th February, 2015 and No. C 3-07/2015/1/3 dated 18th August, 2015
0.	Store Keeper	8 years	40 years	Higher Secondary (10+2) Examination passed. Working experience of 2 years as Store Keeper is	
9.	Driver 1	8 years	40 years	mandatory. 1. Higher Secondary (10+2) Examination passed 2. Valid Driving License to drive a light motor vehicle.	*

NOTE: Relaxation of age limit shall be permissible as per the Order of the General Administration Department No. F-3-8/2016/1/3 dated 4th July, 2019.

Schedule - IV (see rule 14)

Required Eligibility for Promotion

S. No.	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Requisite Experienc e	Name of the Members of Departmental Selection Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Research Assistant	Senior Research Assistant	5 years experience on the post of Research Assistant	1. Chief Town Planner or in his absence Senior Town Planner, Town and Country Planning - Chairman 2. Senior Town Planner, Town and Country Planning - Member 3. Senior Town Planner / Deputy Director (Establishment .), Town and Country Planning - Member 4. Representative of Scheduled Castes/Scheduled Tribes - Member Note - If any of above officers authorizes next Junior Officer, then the said officer shall be authorized to participate in the meeting of the Committee.	Government of Madhya Pradesh, General Administration Department's Circular No. C/3-11/08/3/1 dated 12-06-2009 and No. C-3-18-1-3-2010 dated 31-08-2010
2.	Investigator	Research Assistant	5 years experience on the post of Investigator	do	do
3.	Senior Surveyor	Sub-Engineer	4 years experience on the post of Senior Surveyor	do	do
4.	Junior Surveyor	Senior Surveyor	4 years experience on the post of Junior Surveyor	do	do

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Assistant Architectural Draftsman (Geographic Information System) GIS	Architectural Draftsman (Geographic Information System) GIS	4 years experience on the post of Assistant Architectural Draftsman (Geographic Information System) GIS	do	do
6.	Tracer	Assistant Architectural Draftsman (Geographic Information System) GIS	4 years experience on the post of Tracer	do	do
7.	Assistant Superintendent	Superintendent	5 years experience on the post of Assistant Superintendent	do	do
8.	Assistant Grade-I	Assistant Superintendent	5 years experience on the post of Assistant Grade-I	do	do
9.	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 years experience on the post of Assistant Grade-II	do	do
- 10.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years experience on the post of Assistant Grade-III	do	do
11,	Personal Secretary	Staff Officer	5 years experience on the post of Personal Secretary	do	do
12.	Personal Assistant	Personal Secretary	5 years experience on the post of Personal Assistant	do	do
13.	Steno-typist	Personal Assistant	1. Hindi short hand with 100 words per minute passed / typing test passed from a recognized Institution. 2. 5 years experience on the post of Steno-typist.	do	do

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Class-IV Posts	Assistant Grade-III	1. 5 years experience of any Class-IV post. 2. For the post of Assistant Grade-III fulfillment of educational qualification prescribed by the Government is mandatory. 3. Passed Computer Examination and Hindi Typing (CPCT Score Card) from any one of the recognized Institutions.	do	do

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हर्षल पंचोली,** उपसचिव.